संख्या-822/2025/231/22-2-2025-17(181)/2025

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक: 18 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 रिजवान सिद्दकी पुत्र मो0 शफीक निवासी जनपद-ज्योतिबा फूलेनगर वर्तमान अमरोहा की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक(मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09-01-2025) दिनांक-15-01-2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 रिजवान सिद्दकी पुत्र मो0 शफीक, जो ग्राम-चिल्हा, थाना-अमरोहा, जनपद- ज्योतिबा फूलेनगर वर्तमान अमरोहा का निवासी है। दिनांक 05.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रो की भूमि से सृजित एवं संचालित आतंकवादी संगठन "हरकत-उल-जेहाद-अल-इस्लामी'' की अवैध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों विदेशी आतंकवादियों को शस्त्रों एवं विस्फोटकों के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवकों को अवैध रूप से भारत के बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग दिलाना एवं इन प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारत में आतंकवादी एवं विध्वसंक कार्यवाही करना। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-851/2006 व 847/2006 में भा0द0वि0 की धारा- 115, 121 व 120बी, 121ए व 120बी, 122, 124ए, 153ए, 153बी व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, लखनऊ के आदेश दिनांक 23.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.11.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 04 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है।

3- जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध भारत देश के सीमावर्ती देश के संचालित आतंकवाद संगठन से सम्बन्ध होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 05.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रों की भूमि से सृजित एवं संचालित आतंकवादी संगठन "हरकत-उल-जेहाद-अल- इस्लामी" की अवैध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों विदेशी आतंकवादियों को शस्त्रों एवं विस्फोटको के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवकों को

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

अवैध रूप से भारत के बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग दिलाना एवं इन प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारत में आतंवादी एवं विध्वसंक करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० रिजवान सिद्दकी पुत्र मो० शफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

5- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 रिजवान सिद्दकी (बन्दी संख्या-144/2022) पुत्र मो0 शफीक निवासी जनपद-ज्योतिबा फूलेनगर वर्तमान अमरोहा को यू०पी० प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-822/2025/231(1)/22-2-2025 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, ज्योतिबा फूलेनगर वर्तमान अमरोहा।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन(क्रिमि0) सं0-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-822/2025/231/22-2-2025-17(181)/2025

दिनांक: 18 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 रिजवान सिद्दकी पुत्र मो0 शफीक, जो ग्राम-चिल्हा, थाना-अमरोहा, जनपद- ज्योतिबा फूलेनगर वर्तमान अमरोहा का निवासी है। दिनांक 05.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रो की भूमि से सृजित एवं संचालित आतंकवादी संगठन "हरकत-उल-जेहाद-अल-इस्लामी" की अवैध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों विदेशी आतंकवादियों को शस्त्रों एवं विस्फोटकों के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवकों को अवैध रूप से भारत के बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग दिलाना एवं इन प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारत में आतंकवादी एवं विध्वसंक कार्यवाही करना। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-851/2006 व 847/2006 में भा0द0वि0 की धारा- 115, 121 व 120बी, 121ए व 120बी, 122, 124ए, 153ए, 153बी व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में मा० अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0-03, लखनऊ के आदेश दिनांक 23.01.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 09.11.2024 तक अपरिहार 18 वर्ष, 07 माह, 05 दिन तथा सपरिहार 23 वर्ष, 04 माह, 15 दिन की सजा भोगी गयी है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा शासनादेश संख्या-1658/22-02-2004-25(94)/97, दिनांक 06.09.2004 के प्रस्तर 9-(2) के प्राविधान के अनुरूप 05 बिन्दुओं (जो लक्ष्मण नास्कर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 2000 क्रि०एल० जे० 1471 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया) पर परीक्षण कर आख्या प्रेषित की गई है। उक्त आख्या में बन्दी द्वारा किया गया अपराध भारत देश के सीमावर्ती देश के संचालित आतंकवाद संगठन से सम्बन्ध होने, भविष्य में अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, बन्दी के परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई के लिए उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में दिनांक 05.04.2006 को बन्दी ने अपने 04 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर भारत के सीमावर्ती विदेशी राष्ट्रों की भूमि से सृजित एवं संचालित आतंकवादी संगठन "हरकत-उल-जेहाद-अल- इस्लामी" की अवैध राष्ट्र विरोधी गतिविधियों विदेशी आतंकवादियों को शस्त्रों एवं विस्फोटको के साथ भारत में घुसपैठ कराना एवं भारतीय मूल के युवकों को अवैध रूप से भारत के बाहर भेजकर विदेशी भूमि पर आतंकवादी गतिविधियों की ट्रेनिंग दिलाना एवं इन प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा भारत में आतंवादी एवं विध्वसंक करने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बंधित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नही है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी मो० रिजवान सिद्दकी पुत्र मो० शफीक को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए/लाइसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

शिव गोपाल सिंह

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।